उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांक:– 27/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– ग्राम बैठवासियां तहसील ओसियां, की सरहद में प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1044, 1051, 1079, 1141, 1166, 1167, 1168, 1169 कुल रकबा 67 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1113/1, 1128, 1379, 1384 कुल रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा की आई हुई है इसी प्रकार ग्राम पण्डितजी की ढाणी में खसरा नम्बर 1037 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा की आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश व लिपिकिय त्रुटिवश बाबुराम के स्थान पर पाबुराम गलत दर्ज कर दिया। जबकि वास्तविक नाम बाबुराम है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में भी नाम बाबुराम दर्ज है। उपर्युक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े है इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पाबुराम जो गलत दर्ज है उसके स्थान पर सही नाम बाबुराम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1044, 1051,

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

1079, 1141, 1166, 1167, 1168, 1169 कुल रकबा 67 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1113/1, 1128, 1379, 1384 कुल रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा की मौजा ग्राम बैठवासियां व खसरा नम्बर 1037 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पाबुराम दर्ज है जो गलत है इसके स्थान पर सही नाम बाबुराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने का आदेश फरमावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में पाबुराम के स्थान पर बाबुराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुराम है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1044, 1051, 1079, 1141, 1166, 1167, 1168, 1169 कुल रकबा 67 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1113/1, 1128, 1379, 1384 कुल रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा की मौजा ग्राम बैठवासियां व खसरा नम्बर 1037 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पाबुराम पुत्र भुराराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र श्री भुराराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner